

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 325]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 10 अगस्त 2021—श्रावण 19, शक 1943

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2021

### शुद्धि-पत्र

क्र. 9833-233-इक्कीस-अ (प्रा.)- मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 301, दिनांक 20 जुलाई, 2021 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 13 सन् 2021) में नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में वर्णित उन शब्दों, अंकों तथा चिन्हों के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिए गए शब्द, अंक तथा चिन्ह पढ़े जाएं:-

### सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द, अंक तथा चिन्ह (1)	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिनमें वे शब्द, अंक तथा चिन्ह आए हैं (2)	शुद्ध शब्द, अंक तथा चिन्ह जो कि पढ़े जाएं (3)
---	--	--

	पृष्ठ	पंक्ति	
(1) उपखंड	602	20	खण्ड
(2) धारा 292-ग,	602(3)	7	“धारा 292-ग,
(3) नहीं कि जाएगी	602(3)	15	नहीं की जाएगी.

(1)	(2)		(3)
	पृष्ठ	पंक्ति	
(4) 8. धारा 292-घ के स्थान पर,	602(3)	19	(8) धारा 292-घ के स्थान पर,
(5) धारा 292-घ का लोप किया जाए.	602(4)	22	धारा 292-घक का लोप किया जाए.
(6) धारा 202-छ के स्थान पर,	602(5)	1	धारा 292-छ के स्थान पर,
(7) अनुज्ञान के बिना	602(5)	धारा 308-क के पार्श्वशीर्ष में पंक्ति 1	अनुज्ञा के बिना
(8) परिस्थितिकी	602(5)	15	पारिस्थितिकी
(9) परिस्थितिकी	602(6)	30	पारिस्थितिकी
(10) विहित किया जाए.”	602(10)	26	विहित किया जाए.”
(11) her	602(12)	9	him
(12) ingving	602(15)	6	inquiry or
(13) has been developed on Government land or the land of the Development Authority/ Housing and Infrastructure Development Authority/Housing and Infrastructure Development Board/ urban local bodies.	602(15)	27	has been developed on Government land or the land of the Development Authority /Housing and Infrastructure Development Board/urban local bodies.
(14) state law	602(15)	34	State law
(15) compunding	602(16)	25	compounding
(16) entiry	602(19)	6	entity
(17) act	602(19)	28	Act

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.